समाचार

एस.ई.आई.ए.ए. से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन केवल आनलाईन

कोरबा 07 सितम्बर 2015 –भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति से टी.ओ.आर./पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केवल आनलाईन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा।

संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) से टी.ओ.आर/पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केवल आनलाईन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। टी.ओ.आर./पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु वेबसाईट www.environmentclearance.nic.in में State Portals लिंक पर जाकर chhattisgarh चयन करके Register (New Proponent) पर दी गई आवश्यक जानकारियां भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिससे रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवार्ड प्राप्त होने के उपरांत www.environmentclearance.nic.in में State Portals लिंक पर जाकर chhattisgarh चयन करके Login (Proponent) में जाकर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवार्ड इंटर कर आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सचिवालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, व्यवसायिक परिसर छ.ग. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कबीर नगर रायपुर (छ.ग.) में हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है। Online आवेदन संबंधी किसी भी स्पष्टीकरण/समस्या के निराकरण हेतु श्री राहुल सोनी, मोबाईल नम्बर 8819909766 से संपर्क किया जा सकता है।